



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 3, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. अदालतों में एआई-जनित मिसालों (AI-Generated Precedents) पर सुप्रीम कोर्ट	2
2. सरकार ने वीपीएन (VPN) प्रदाताओं के लिए कड़े कानूनी ढांचे का प्रस्ताव रखा	3
3. दिल्ली बिजली डिस्कॉम का कैग (CAG) ऑडिट: नियामक संपत्तियों (Regulatory Assets) का समाधान	5
4. केंद्रीय लाइसेंसिंग दायरे का विस्तार: स्टैम सेल और जीन थेरेपी	7
5. हसदेव अरण्य पर्यावरण मंजूरी: विकास बनाम संरक्षण	8
6. ट्रम्प का क्वाड से पीछे हटना: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए अवसर	10
7. नियामक निरीक्षण: व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर में सरकारी हस्तक्षेप	12
8. पश्चिम एशिया संकट: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ता तनाव	13
9. स्काईरूट लॉन्च करेगी विक्रम-1: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट (Orbital Rocket)	15
10. VB-G RAM G योजना का राष्ट्रीय रोलआउट: ग्रामीण रोजगार का कार्याकल्प	16
11. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और यूएपीए के तहत जमानत का कमजोर होना	18
12. सरला भट मामले में चार्जशीट: पुराने आतंकी मामलों की जांच में मील का पत्थर	19

1. अदालतों में एआई-जनित मिसालों (AI-Generated Precedents) पर सुप्रीम कोर्ट

- संदर्भ (Context):** सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के एक आदेश को खारिज कर दिया, जो काल्पनिक और एआई-जनित (AI-generated) केस कानून (नजीर) पर आधारित था। इसके साथ ही अदालत ने असत्यापित एआई मिसालों के खिलाफ "जीरो-टोलरेंस" (शून्य-सहनशीलता) नीति स्थापित की है।

मुख्य टिप्पणियाँ (Key Observations)

पीठ (न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे) ने चेतावनी दी कि एआई के "भ्रम" (Hallucinations) कानून के शासन को कमजोर करते हैं और न्यायिक निर्णय की जीवनधारा को दूषित करते हैं। कोर्ट ने नकली एआई सामग्री की तुलना कानून के क्षेत्र में "मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव" जैसी एक अदृश्य, घातक आपदा से की।

मानवीय निरीक्षण और सहयोग (Human Oversight & Collaboration)

अत्यधिक कार्यभार के बीच दक्षता में सुधार के लिए एआई की भूमिका को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया कि हर स्तर पर सार्थक मानवीय निरीक्षण (Human Oversight) अभिन्न बना रहना चाहिए। कोर्ट ने बार (वकील) और बेंच (न्यायाधीश) के बीच गहरे सहयोग का आह्वान किया।

संस्थागत कदम (Institutional Steps)

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से नियम बनाने का आग्रह किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वजनिक परामर्श के लिए "अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए मसौदा विनियम, 2026" (Draft Regulations for Use of Artificial Intelligence in Courts, 2026) के प्रकाशन के साथ यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।



मुख्य परिभाषा (Key Definition)

एआई हैलुसिनेशन (AI Hallucination): इस घटना से तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वास्तविक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए झूठे, मनगढ़ंत या गैर-मौजूद डेटा/मिसालें तैयार करता है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान (Constitutional & Legal Provisions)

- अनुच्छेद 141 (Article 141):** सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं। नकली एआई मिसालों पर भरोसा करना इस संवैधानिक ढांचे को सीधे तौर पर कमजोर करता है।
- अनुच्छेद 21 - निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (Article 21 - Right to Fair Trial):** मनगढ़ंत डेटा के आधार पर निर्णय लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष एवं बेदाग सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (Advocates Act, 1961):** धारा 49 बीसीआई (BCI) को पेशेवर कदाचार पर नियम बनाने का अधिकार देती है। असत्यापित एआई डेटा प्रस्तुत करना पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जैसे-जैसे तकनीक न्यायशास्त्र में एकीकृत हो रही है, निर्णय लेने की अखंडता को बनाए रखना सर्वोपरि है। एआई को कड़ाई से केवल दक्षता सहायता के रूप में काम करना चाहिए, न कि कठोर मानवीय कानूनी अनुसंधान और सत्यापन के प्रतिस्थापन के रूप में।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था (न्यायपालिका, न्यायिक जवाबदेही और कानून का शासन)।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियाँ और नैतिक प्रभाव)।
- मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaway):** सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ तकनीकी नवाचार को संतुलित करना।

2. सरकार ने वीपीएन (VPN) प्रदाताओं के लिए कड़े कानूनी ढांचे का प्रस्ताव रखा

- संदर्भ (Context):** केंद्र सरकार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार कर रही है, ताकि उपयोगकर्ताओं द्वारा राज्य द्वारा लगाए गए कंटेंट और ऐप ब्लॉक को दरकिनार करने संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके।

मुख्य आवश्यकताएँ (Key Requirements)

आगामी ढांचे में विदेशी वीपीएन ऑपरेटरों के लिए भारत में भौतिक स्थानीय कार्यालय स्थापित करना और सरकार के साथ संपर्क करने तथा शिकायतों का निवारण करने के लिए समर्पित अनुपालन अधिकारी (Compliance Officials) नियुक्त करना अनिवार्य होने की उम्मीद है।

नियामक पृष्ठभूमि (Regulatory Background)

यह पहल भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) द्वारा जारी 2022 के निर्देशों के बाद आई है, जिसमें वीपीएन सेवा प्रदाताओं को नाम, आईपी पते और संपर्क विवरण सहित व्यापक उपयोगकर्ता डेटा को लॉग और संग्रहीत करने की आवश्यकता थी।

नए नियमों की आवश्यकता (Need for New Rules)

एक सख्त वैधानिक ढांचे की ओर कदम बढ़ाना इस बात की अंतर्निहित स्वीकृति से उपजा है कि 2022 के प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह से संतोषजनक अनुपालन देने में विफल रहे, जिसके कारण कई वैश्विक सेवा प्रदाताओं ने भारत से अपने भौतिक सर्वरों को हटाने का विकल्प चुना।



मूल परिभाषा (Core Definition)

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN): यह एक डिजिटल सेवा है जो इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करती है और किसी अन्य स्थान पर स्थित सुरक्षित सर्वरों के माध्यम से उपयोगकर्ता के कनेक्शन को रूट करके उनके वास्तविक आईपी (IP) पते को छुपाती है, जिससे ऑनलाइन गुमनामी की सुविधा मिलती है और भौगोलिक कंटेंट प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सकता है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान (Constitutional and Legal Provisions)

अधिनियम / अनुच्छेद	प्रावधान और विवरण
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A)	राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध (Block) करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 70B)	CERT-In को साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित करता है।

अधिनियम / अनुच्छेद	प्रावधान और विवरण
संविधान का अनुच्छेद 19	वीपीएन पर नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (19(1)(a)) और किसी भी पेशे या व्यवसाय को करने के अधिकार (19(1)(g)) को प्रभावित करते हैं, जो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे उचित प्रतिबंधों (19(2) और 19(6)) के अधीन हैं।
गोपनीयता का अधिकार (अनुच्छेद 21)	के.एस. पुट्टस्वामी मामले के निर्णय के अनुसार, गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है। वीपीएन के लिए डेटा प्रतिधारण (Data Retention) के आदेश अनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test)—यानी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की गोपनीयता के साथ राज्य सुरक्षा हितों को संतुलित करने की कसौटी—के तहत संवीक्षा का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि वीपीएन का राज्य विनियमन साइबर खतरों, डिजिटल सीमा पार अपराधों और कानूनी ब्लॉकिंग आदेशों को दरकिनार करने की गतिविधियों को रोकने का लक्ष्य रखता है, लेकिन नीतिगत ढांचे को वैध राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत डिजिटल गोपनीयता और भारत में वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (GS Paper II):** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नियामक निकाय (CERT-In); मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या (अनुच्छेद 19 और 21)।
- जीएस पेपर III (GS Paper III):** साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, और इंटरनेट गवर्नेंस में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका।

3. दिल्ली बिजली डिस्कॉम का कैग (CAG) ऑडिट: नियामक संपत्तियों (Regulatory Assets) का समाधान

- ऑडिट आदेश (Audit Order):** दिल्ली सरकार ने तीन प्रमुख निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)—BRPL, BYPL और TPDDL—के व्यापक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ऑडिट का आदेश दिया है, जो 2002 में बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद से इस तरह की पहली वित्तीय संवीक्षा है।

संचित देनदारियां (Accumulated Liabilities)

इस ऑडिट का मुख्य कारण एक दशक से अधिक समय में लगभग ₹38,500 करोड़ की वसूल न की गई "नियामक संपत्तियों" (Regulatory Assets - RAs) का संचय है, जिसने इस क्षेत्र में भारी गुप्त वित्तीय देनदारियां पैदा कर दी हैं।

बकाये का विवरण (Breakdown of Dues)

लंबित नियामक संपत्तियां डिस्कॉम्स के बीच विभाजित हैं, जिसमें BRPL के पास ₹19,174 करोड़, BYPL के पास ₹12,333 करोड़ और TPDDL के पास ₹7,046 करोड़ हैं। यह स्थिति उपभोक्ता टैरिफ बढ़ोतरी पर लंबे समय तक लगी रोक के कारण और भी गंभीर हो गई है।



कानूनी और नियामक संदर्भ (Legal and Regulatory Context)

यह आदेश बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के एक निर्देश के बाद आया है, जिसने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) को तीन महीने की समय सीमा के भीतर इन लंबित नियामक संपत्तियों के परिसमापन (Liquidation) को शुरू करने का निर्देश दिया था।

डिस्कॉम का रुख (Discom Position)

BSES डिस्कॉम के एक प्रवक्ता ने कहा कि निजी उपयोगिताओं (Utilities) के कैग ऑडिट से जुड़ा मामला उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन (Sub-judice) है, जिससे सरकारी कार्यकारी आदेश के तत्काल कार्यान्वयन पर सवाल उठते हैं।

शासन का उद्देश्य (Governance Objective)

राज्य प्रशासन सार्वजनिक हित का हवाला देता है, और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा इस बात की उचित सार्वजनिक संवीक्षा चाहता है कि निजी उपयोगिताओं द्वारा सार्वजनिक धन, इक्विटी भागीदारी और सब्सिडी सहायता का प्रबंधन कैसे किया गया है।

मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- नियामक संपत्तियां / रेगुलेटरी एसेट्स (RAs):** डिस्कॉम द्वारा महसूस किए गए आस्थगित व्यय या राजस्व की कमी (उदाहरण के लिए, ईंधन की बदलती लागत के कारण) जिन्हें नियामकों द्वारा तत्काल मूल्य वृद्धि के बजाय भविष्य के टैरिफ समायोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- डिस्कॉम्स (Discoms):** बिजली वितरण कंपनियां जो उत्पादन संयंत्रों से बिजली खरीदने और इसे सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा (Constitutional and Legal Framework)

- अनुच्छेद 148 से 151 (Article 148 to 151):** ये अनुच्छेद कैग (CAG) की नियुक्ति, कर्तव्यों और शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि कैग मुख्य रूप से सार्वजनिक खातों का ऑडिट करता है, कैग (DPC) अधिनियम, 1971 की धारा 20 विशिष्ट सार्वजनिक हित की शर्तों के तहत गैर-सरकारी निकायों के ऑडिट की अनुमति देती है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003):** यह वैधानिक ढांचा टैरिफ को विनियमित करने और क्षेत्रीय विवादों का फैसला करने के लिए राज्य नियामक आयोगों (जैसे DERC) और अपीलीय न्यायाधिकरणों (APTEL) की स्थापना करता है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance):** जीएस पेपर II (जवाबदेही और शासन, वैधानिक और नियामक निकाय) और जीएस पेपर III (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी)।

- **निष्कर्ष (Conclusion):** यह विकास आवश्यक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के भीतर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में जटिल शासन चुनौतियों को रेखांकित करता है। निजी उपयोगिताओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए स्थिर टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण को संतुलित करने के लिए मजबूत, पारदर्शी नियामक तंत्र और निजी संस्थाओं पर सार्वजनिक लेखा परीक्षकों (Auditors) के क्षेत्राधिकार की सीमाओं पर निर्णायक कानूनी मिसालों की आवश्यकता है।

4. केंद्रीय लाइसेंसिंग दायरे का विस्तार: स्टेम सेल और जीन थेरेपी

- **नियामक विस्तार (Regulatory Expansion):** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) ढांचे के तहत केंद्रीय निरीक्षण को बढ़ाने के लिए औषधि नियमावली, 1945 (Drugs Rules, 1945) में संशोधन किया है, जिसके तहत स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पादों (Stem Cell-Derived Products), जीन चिकित्सीय उत्पादों (Gene Therapeutic Products) और जेनोग्राफ्ट्स (Xenografts) को सीधे इसके दायरे में लाया गया है।
- **संशोधन का उद्देश्य (Objective of Amendment):** इस बदलाव का उद्देश्य कड़े नियामक निरीक्षण को सुनिश्चित करना, रोगी सुरक्षा का मानकीकरण करना और अनुमोदन (Approval) प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे अंततः अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को तेजी से और अधिक पूर्वानुमेय (Predictable) तरीके से अपनाने का मार्ग सुगम हो सके।
- **दोहरा निरीक्षण मॉडल (Dual Oversight Model):** मूल औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत टीके (Vaccines), लार्ज-वॉल्यूम पैरेंटेरल्स (Large-Volume Parenterals), और पुनः संयोजक डीएनए (r-DNA) दवाओं जैसे जैविक उत्पादों को एक संयुक्त केंद्रीय-राज्य नियामक तंत्र के तहत प्रबंधित किया जाता है, जिसे अब इस संशोधन द्वारा विस्तारित किया गया है।
- **स्वदेशीकरण पर ध्यान (Focus on Indigenization):** यह नीतिगत हस्तक्षेप एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब कई घरेलू बायोमेडिकल कंपनियां वैश्विक स्तर पर महंगी पेटेंटेड किस्मों का मुकाबला करने के लिए CAR-T सेल थेरेपी जैसी लागत प्रभावी, स्वदेशी इम्यूनोथेरेपी उपचार विकसित कर रही हैं।
- **लक्षित चिकित्सा अनुप्रयोग (Targeted Medical Applications):** निरीक्षण के दायरे में आने वाली ये विशिष्ट थेरेपी जटिल और तेजी से विकसित हो रहे नैदानिक खंडों (Clinical Segments) को लक्षित करती हैं, जिनमें उन्नत रक्त कैंसर उपचार, जन्मजात आनुवंशिक विकार और बायो-इंजीनियर्ड ऊतकों का उपयोग करने वाले विशिष्ट कार्डियक (हृदय संबंधी) हस्तक्षेप शामिल हैं।



मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- **स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पाद (Stem Cell-Derived Products):** अविभेदित (Undifferentiated) मानव कोशिकाओं से प्राप्त चिकित्सीय जैविक सामग्रियां जो ऊतक पुनर्जनन (Tissue Regeneration) के लिए आत्म-नवीनीकरण और विशिष्ट कोशिका प्रकारों में विभेदित होने में सक्षम होती हैं।

- **जीन थेरेपी (Gene Therapy):** एक चिकित्सा क्षेत्र जो दोषपूर्ण जीन की मरम्मत या उन्हें बदलकर चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने या बीमारी का इलाज करने के लिए जीवित कोशिकाओं के आनुवंशिक संशोधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **जेनोग्राफ्ट्स (Xenografts):** गैर-मानव पशु स्रोतों (जैसे कि सूअर के हृदय के वाल्व) से प्राप्त जैविक ऊतक या अंग प्रत्यारोपण जिनका उपयोग मानव प्राप्तकर्ताओं में सर्जिकल इम्प्लांटेशन के लिए किया जाता है।
- **CAR-T सेल थेरेपी (CAR-T Cell Therapy):** काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी, एक विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी है जहाँ कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए रोगी की टी-कोशिकाओं (T-cells) को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है।

वैधानिक और नियामक ढांचा (Statutory and Regulatory Framework)

- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियमावली, 1945:** भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा।
- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):** भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) के नेतृत्व में, यह नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) को मंजूरी देने के लिए CLAA ढांचे के केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **संवैधानिक दायरा:** चिकित्सा मानकों और दवाओं का विनियमन समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 19) के अंतर्गत आता है, जो केंद्रीय और राज्य दोनों विधायी हस्तक्षेपों की अनुमति देता है, हालांकि केंद्रीय लाइसेंसिंग देश भर में समान गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी)।
- **निष्कर्ष:** उन्नत बायो-थेरेप्यूटिक्स को केंद्रीकृत लाइसेंसिंग के तहत लाना भारत के उभरते हुए डीप-टेक मेडिकल इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण नियामक अंतर को पाटता है। हालांकि केंद्रीय निरीक्षण आनुवंशिक और सेलुलर हेरफेर से जुड़े सुरक्षा जोखिमों और नैतिक चिंताओं को कम करता है, प्रशासनिक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बढ़ा हुआ निरीक्षण नौकरशाही की बाधाओं में न बदले, जिससे नैदानिक नवाचार के साथ रोगी सुरक्षा को संतुलित किया जा सके।

5. हसदेव अरण्य पर्यावरण मंजूरी: विकास बनाम संरक्षण

- **पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हसदेव अरण्य जंगलों के भीतर केंटे एक्सटेंशन एकीकृत कोयला ब्लॉक में ओपनकास्ट कोयला खनन के लिए अंतिम पर्यावरण मंजूरी (EC) दे दी है।

- **परियोजना की विशिष्टताएँ (Project Specifications):** सरगुजा जिले में 1,760 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले इस ब्लॉक की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 9 मिलियन टन है और इसे राजस्थान में थर्मल पावर स्टेशनों को ईंधन देने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया था।
- **पारिस्थितिक महत्व (Ecological Significance):** अक्सर मध्य भारत के "हरे फेफड़े" के रूप में वर्णित, हसदेव अरण्य क्षेत्र में 1,502 वर्ग किलोमीटर के निरंतर साल और सागौन के जंगल शामिल हैं, जो एक महत्वपूर्ण हाथी गलियारे (Elephant Corridor), नौ अनुसूची-1 वन्यजीव प्रजातियों के आवास और हसदेव नदी के प्राथमिक जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो महानदी को पोषित करती है।
- **पर्यावरणीय लागत (Environmental Cost):** इस परियोजना के लिए 1,742.6 हेक्टेयर प्राचीन वन भूमि के मार्ग को बदलने और चरणबद्ध तरीके से लगभग 4.48 लाख पेड़ों को काटने की आवश्यकता है, जो सीधे भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के 2021 के एक मूल्यांकन को दरकिनार करता है जिसने आवास विखंडन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को "नो-गो ज़ोन" घोषित करने की सिफारिश की थी।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact):** बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण स्थानीय आदिवासी समुदायों ने इस मंजूरी का सक्रिय विरोध किया है; यह परियोजना सरगुजा की उदयपुर तहसील के कई गांवों में 56 आदिवासी परिवारों को विस्थापित करेगी, जिसके लिए राज्य-अनुमोदित राहत ढांचों के तहत पुनर्वास की आवश्यकता होगी।

मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- **पर्यावरण मंजूरी / एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC):** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार से आवश्यक एक वैधानिक अधिदेश, जो निष्पादन से पहले औद्योगिक या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
- **अनुसूची-1 प्रजातियाँ (Schedule-I Species):** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन्यजीव श्रेणियाँ जिन्हें कानूनी संरक्षण का उच्चतम स्तर प्रदान किया गया है, और जिनके शिकार या आवास विनाश के लिए सबसे गंभीर वैधानिक दंड का प्रावधान है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान (Constitutional and Legal Provisions)

- **अनुच्छेद 48A - डीपीएसपी (Article 48A - DPSP):** यह निर्देश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g) - मौलिक कर्तव्य (Article 51A(g) - Fundamental Duties):** भारत के प्रत्येक नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य लागू करता है।
- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023:** खनन जैसे गैर-वन औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मार्ग परिवर्तन, गैर-आरक्षण या पट्टे पर देने को विनियमित करता है।

- **संविधान की पांचवीं अनुसूची:** आदिवासी भूमि को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है; इन अनुसूचित क्षेत्रों में खनन मंजूरियां स्थानीय ग्राम सभा परामर्श के संबंध में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के साथ गहराई से जुड़ती हैं।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर III (संरक्षण, पर्यावरण क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ऊर्जा बुनियादी ढांचा) और जीएस पेपर I (भूगोल: संसाधन वितरण)।
- **निष्कर्ष:** केंटे ब्लॉक की मंजूरी गहन पारिस्थितिक संरक्षण के साथ मुख्य ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करने की संरचनात्मक शासन दुविधा को उजागर करती है। सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत वैज्ञानिक आकलनों के कठोर अनुपालन, पारदर्शी आदिवासी पुनर्वास और जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों (Hotspots) में बुनियादी ढांचे के विखंडन को न्यूनतम करने की आवश्यकता है।

6. ट्रम्प का क्वाड से पीछे हटना: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए अवसर

- **अमेरिकी रणनीतिक बदलाव (US Strategic Shift):** ट्रम्प प्रशासन की क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने के प्रति अनिच्छा, वाशिंगटन के इंडो-पैसिफिक कमांड से वापस पैसिफिक कमांड में संरचनात्मक बदलाव और चीन के साथ संभावित द्विपक्षीय "G2" दृष्टिकोण ने पूरे क्षेत्र में गहरी रणनीतिक अनिश्चितता पैदा कर दी है।
- **मध्यम-शक्ति नेतृत्व (Middle-Power Leadership):** अमेरिका का यह प्रत्यक्ष पीछे हटना क्षेत्र की प्रमुख मध्यम शक्तियों—भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया—को बाहरी महाशक्तियों पर सामूहिक निर्भरता को कम करते हुए, मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) दृष्टिकोण का नेतृत्व करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- **जापान का उभरता FOIP (Japan's Evolving FOIP):** शिंजो आबे द्वारा FOIP की कल्पना किए जाने के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में, टोक्यो का अद्यतन (Updated) ढांचा एआई के लिए अनुकूलित आर्थिक बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और पनडुब्बी केबलों, ओपन रैन (Open RAN) तथा उन्नत ऑप्टिकल नेटवर्क को कवर करने वाले एक प्रस्तावित "FOIP डिजिटल कॉरिडोर" को प्राथमिकता देता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** भारत का मानना है कि क्वाड "एशियाई नाटो" नहीं है, और वह इसे एक औपचारिक सैन्य गठबंधन में बदलने का विरोध करता है। यह दृष्टिकोण नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखता है, जिससे वह ताइवान संकट जैसे संवेदनशील मुद्दों में सीधे उलझने से बचते हुए हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा भूमिका का विस्तार कर सके।

- **आर्थिक एकीकरण का विकल्प (Economic Integration Alternative):** चीन के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए, विश्लेषकों का सुझाव है कि भारत हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे में एकीकृत होने के लिए, 2019 में आरसीईपी (RCEP) से बाहर निकलने के बाद, व्यापक व्यापार ढांचों जैसे कि 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते' (CPTPP) में शामिल होने पर पुनर्विचार कर सकता है।



मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- **क्वाड / चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad):** भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से बना एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच, जिसे अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलनों, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
- **G2 अवधारणा (G2 Concept):** एक काल्पनिक रणनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जहाँ वैश्विक व्यवस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग और बातचीत के माध्यम से किया जाता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक विदेश नीति सिद्धांत जिसमें एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी पसंद और कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखता है, और उन बाध्यकारी सैन्य गठबंधनों में शामिल होने से इनकार करता है जो राष्ट्रीय हित को सीमित करते हैं।

संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय ढांचा (Constitutional and International Frameworks)

- **अनुच्छेद 51 - डीपीएसपी (Article 51 - DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS):** दुनिया के महासागरों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शासन, जो समुद्री व्यवसायों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव)।
- **निष्कर्ष:** क्वाड के भीतर उभरती गतिशीलता अमेरिका द्वारा समर्थित सुरक्षा-केंद्रित गठबंधन से क्षेत्रीय मध्यम शक्तियों के नेतृत्व में अधिक विविधतापूर्ण, बहु-ध्रुवीय सहयोग ढांचे में पुनर्गठन को मजबूर करती है। भारत के लिए, जापान की डिजिटल बुनियादी ढांचा पहलों का लाभ उठाना और हिंद-प्रशांत में एक नियम-आधारित, खुली समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के लिए CPTPP जैसे उच्च-मानक आर्थिक एकीकरण की तलाश करना महत्वपूर्ण होगा।

7. नियामक निरीक्षण: व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर में सरकारी हस्तक्षेप

- सरकारी निर्देश (Government Directive):** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp) को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे अपने आगामी यूजरनेम (Username) फीचर के रोलआउट को रोकने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, तीन दिन के भीतर इसके विस्तृत संरचनात्मक स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
- प्रस्तावित फीचर की कार्यक्षमता (Proposed Feature Functionality):** यह अपडेट उपयोगकर्ताओं को अपने प्राथमिक पंजीकृत मोबाइल नंबरों का खुलासा किए बिना दूसरों से जुड़ने के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता (Unique Identifier) बनाने की अनुमति देता है। यह गोपनीयता-केंद्रित तंत्र वर्तमान में टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्मों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

राज्य कानून प्रवर्तन की चिंताएँ (State Law Enforcement Concerns)

सरकार का तर्क है कि फोन नंबर छिपाने से वित्तीय धोखाधड़ी, फ़िशिंग, पहचान की चोरी (Identity Theft) और परिष्कृत "डिजिटल अरेस्ट" घोटालों के मामलों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपराधियों का पता लगाना (Tracing) अत्यधिक जटिल हो जाएगा।

प्रतिरूपण की संवेदनशीलता (Impersonation Vulnerabilities)

राज्य के अधिकारियों द्वारा रेखांकित किया गया एक प्राथमिक सुरक्षा जोखिम यह है कि असामाजिक तत्वों (Bad Actors) द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों, संस्थागत हैंडलों और सरकारी विभागों के भ्रामक या मिलते-जुलते यूजरनेम आरक्षित करके उनका प्रतिरूपण (Spoofing) किया जा सकता है।



प्लेटफॉर्म सुरक्षा सुरक्षा उपाय (Platform Security Safeguards)

अपने बचाव में व्हाट्सएप का कहना है कि उसने हार्ड-प्रोफाइल नामों, मशहूर हस्तियों और आधिकारिक संस्थाओं के पंजीकरण को पहले से ही ब्लॉक (Preemptively block) कर दिया है। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक खोज योग्य यूजरनेम निर्देशिका (Searchable Directory) को हटा दिया गया है, और अवांछित संपर्कों को प्रतिबंधित करने के लिए एक वैकल्पिक संख्यात्मक पिन कुंजी (Numeric Pin Key) पेश की है।

मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- स्पूफिंग (Spoofing):** एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास जहाँ एक साइबर अपराधी अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, डेटा चोरी करने, या वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किसी ज्ञात या विश्वसनीय स्रोत, इकाई या प्राधिकरण का रूप धारण करता है।
- डिजिटल अरेस्ट स्कैम (Digital Arrest Scam):** साइबर-धोखाधड़ी का एक रूप जहाँ पीड़ितों को वीडियो या वॉयस कॉल के माध्यम से यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाता है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कानूनी हिरासत या जांच के अधीन हैं, और उन्हें बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है।

- **फ़िशिंग (Phishing):** एक साइबर-हमला कार्यप्रणाली जो व्यक्तियों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा, वित्तीय क्रेडेंशियल या एक्सेस पासवर्ड प्रकट करने के लिए छल करने हेतु भ्रामक संचार का उपयोग करती है।

वैधानिक और कानूनी प्रावधान (Statutory and Legal Provisions)

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A):** राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में जानकारी या सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध (Block) करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (Intermediaries) के लिए उचित तत्परता (Due Diligence) आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है, जो पहचान की गलत प्रस्तुति और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सक्रिय तंत्र को अनिवार्य बनाता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** हालांकि यह फीचर फोन नंबरों को सुरक्षित रखकर डेटा न्यूनतमकरण (Data Minimization) को बढ़ाता है, लेकिन यह उपयोगकर्ता के गोपनीयता अधिकारों और राज्य की सुरक्षा या ट्रेसेबिलिटी (खोजने की क्षमता) के आदेशों के बीच एक नियामक खींचतान पैदा करता है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और जीएस पेपर III (साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका)।
- **निष्कर्ष:** व्हाट्सएप के यूजरनेम रोलआउट पर नियामक गतिरोध व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता को अधिकतम करने और राज्य कानून प्रवर्तन ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के बीच चल रहे नीतिगत घर्षण को रेखांकित करता है। ऐसी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मजबूत मध्यवर्ती दिशानिर्देशों की आवश्यकता है जो असामाजिक तत्वों को प्लेटफॉर्म की गुमनामी का फायदा उठाने से रोकने के लिए सत्यापन योग्य संस्थागत सुरक्षा उपायों के साथ एंड-टू-एंड डेटा न्यूनतमकरण को जोड़ती हों।

8. पश्चिम एशिया संकट: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बढ़ता तनाव

- **होर्मुज जलडमरूमध्य गतिरोध (Strait of Hormuz Standoff):** ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी सैन्य हस्तक्षेप या हवाई संपदा की तैनाती तत्काल, निर्णायक जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर करेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे।
- **नेविगेशन अधिदेश (Navigation Mandate):** खतम अल-अबिया केंद्रीय मुख्यालय, जो ईरान के सशस्त्र बलों का समन्वय करता है, ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी वाणिज्यिक टैंकरों और व्यापारी जहाजों को तेहरान द्वारा निर्दिष्ट समुद्री पारगमन मार्गों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अन्यथा उन्हें सीधे रोक (Interception) दिया जाएगा।
- **भू-राजनीतिक ट्रिगर (Geopolitical Trigger):** हालिया सैन्य हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के निधन के बाद उत्पन्न हुई अस्थिर क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच यह तनाव बढ़ा है,

जिसके कारण तेहरान, कौम (Qom) और मशहद (Mashhad) में व्यापक राजकीय अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है।

- **राजनयिक गतिरोध (Diplomatic Standstill):** एक स्थायी शांति ज्ञापन तैयार करने के लिए कतर की मध्यस्थता में दोहा में चल रही अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता, राजनीतिक संक्रमण (Transition) और दोनों पक्षों के कड़े बयानबाजी के कारण अस्थायी रूप से रुक गई है।
- **लक्षित बयानबाजी (Targeted Rhetoric):** ईरान के उत्तरवर्ती नेतृत्व ढांचे की रणनीतिक संवेदनशीलता के संबंध में इजरायली रक्षा नेतृत्व के बयानों से तनाव और बढ़ गया है, जिसके खिलाफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने किसी भी संभावित गलत अनुमान के प्रति कड़ी चेतावनी दी है।

मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- **चोक पॉइंट / संकीर्ण मार्ग (Choke Point):** एक रणनीतिक, संकीर्ण भौगोलिक मार्ग (आमतौर पर एक जलडमरूमध्य) जो प्रमुख समुद्री निकायों को जोड़ता है और महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति लाइनों या नौसैनिक यातायात को नियंत्रित करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक सिद्धांत जिसमें एक राज्य बाहरी जबरदस्ती के बिना अपनी मुख्य सुरक्षा, विदेश नीति और राजनयिक संरक्षण के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है।



अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और वैधानिक ढांचा (International Legal and Statutory Framework)

- **UNCLOS (1982):** समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य के कानूनी शासन को नियंत्रित करता है। भाग III वाणिज्यिक शिपिंग के लिए "पारगमन मार्ग" (Transit Passage) के अधिकार को नियंत्रित करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा छूट के तहत तटीय राज्यों द्वारा अक्सर विवादित रहा है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51:** यदि किसी सदस्य देश के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है, तो व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है, एक ऐसा प्रावधान जिसका क्षेत्रीय अभिनेताओं द्वारा प्रतिशोधात्मक सैन्य रुख को सही ठहराने के लिए नियमित रूप से हवाला दिया जाता है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव)।
- **निष्कर्ष:** होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ता घर्षण क्षेत्रीय भू-राजनीतिक झटकों के प्रति महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स की निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक के लिए, पश्चिम एशिया में निरंतर अस्थिरता ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार चैनलों और प्रवासी सुरक्षा के लिए तत्काल जोखिम पैदा करती है, जिसके लिए संतुलित राजनयिक जुड़ाव और विविध रणनीतिक ऊर्जा गलियारों की आवश्यकता है।

9. स्काईरूट लॉन्च करेगी विक्रम-1: भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट (Orbital Rocket)

- ऐतिहासिक लॉन्च (Milestone Launch):** बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) ने विक्रम-1 की आगामी पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है, जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय-श्रेणी का रॉकेट लॉन्च होगा।
- लॉन्च विंडो (Launch Window):** कक्षीय रॉकेट को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) से 12 जुलाई और 4 अगस्त के बीच एक निर्दिष्ट नियामक विंडो के भीतर उड़ान भरने के लिए निर्धारित किया गया है।
- पेलोड और क्षमता (Payload and Capacity):** विक्रम-1 को विशेष रूप से छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में ले जाने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो समर्पित, कम लागत वाली छोटी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग को सीधे पूरा करता है।
- निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास (Evolution of Private Space Sector):** यह प्रक्षेपण नवंबर 2022 में कंपनी के पिछले ऐतिहासिक मील के पथर के बाद आया है, जब स्काईरूट ने 'प्रारंभ' मिशन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित उप-कक्षीय (Sub-orbital) रॉकेट 'विक्रम-एस' सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
- नीतिगत सक्षमता (Policy Enablement):** यह सफलता केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने इसरो को एकमात्र निष्पादक से निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए एक प्राथमिक सक्षमकर्ता (Enabler) के रूप में परिवर्तित कर दिया है।



मुख्य परिभाषाएँ (Key Definitions)

- कक्षीय रॉकेट (Orbital Rocket):** पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर, निरंतर कक्षा में पेलोड रखने के लिए पर्याप्त गति और प्रणोदन (Propulsion) के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक लॉन्च वाहन, जिसे उप-कक्षीय रॉकेट की तुलना में काफी अधिक वेग की आवश्यकता होती है।
- निम्न पृथ्वी कक्षा / लो अर्थ ऑर्बिट (LEO):** पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब की एक कक्षीय ऊंचाई, जो आमतौर पर 160 किलोमीटर और 2,000 किलोमीटर के बीच फैली होती है, जिसका उपयोग आमतौर पर रिमोट सेंसिंग, संचार और वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए किया जाता है।
- उप-कक्षीय उड़ान (Sub-orbital Flight):** एक अंतरिक्ष उड़ान जहाँ रॉकेट बाहरी अंतरिक्ष तक पहुँचता है लेकिन उसका प्रक्षेपवक्र (Trajectory) वायुमंडल या सहायक पिंड की सतह को काटता है, जिससे यह एक पूर्ण कक्षीय परिक्रमा पूरी करने से वंचित रह जाता है।

वैधानिक और नीतिगत ढांचा (Statutory and Policy Framework)

- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** संस्थागत नीति ढांचा जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की पूरी मूल्य श्रृंखला में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की भागीदारी को औपचारिक और उन्नत करता है।

- **IN-SPACE (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र):** अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक एकल-खिड़की, स्वायत्त नोडल एजेंसी जिसका कार्य निजी अंतरिक्ष गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के साझाकरण को बढ़ावा देना, अधिकृत करना और उसकी निगरानी करना है।
- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को एकत्रित करने, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करने और निजी क्षेत्र के लॉन्च प्रदाताओं के साथ इंटरफेस करने के लिए जिम्मेदार है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता (Conclusion & UPSC Relevance)

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी- अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)।
- **निष्कर्ष:** विक्रम-1 का आगामी प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक परिपक्व संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य-प्रभुत्व वाले बुनियादी ढांचे से एक जीवंत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की ओर बढ़ रहा है। उच्च तकनीक वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देकर, भारत वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिससे स्थानीय इंजीनियरिंग स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्रों में बदल रहे हैं।

10. VB-G RAM G योजना का राष्ट्रीय रोलआउट: ग्रामीण रोजगार का कायाकल्प

राष्ट्रव्यापी शुरुआत:

केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G RAM G) योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया है, जो भारत के ग्रामीण कल्याण ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है।

मनरेगा (MGNREGA) का निरसन:

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के माध्यम से लागू यह नया वैधानिक ढांचा 1 जुलाई, 2026 से ऐतिहासिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 को पूरी तरह से निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।

बढ़ी हुई रोजगार सीमा:

यह योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को पिछले 100 दिनों से बढ़ाकर प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन करती है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण आय सुरक्षा और क्रय शक्ति को मजबूत करती है।

ढांचागत वित्तपोषण में बदलाव:

मनरेगा के मांग-संचालित (demand-driven) वित्तपोषण मॉडल से हटकर, नया ढांचा "मानक आवंटन" (normative allocation) की एक प्रणाली शुरू करता है, जहाँ केंद्र सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के राजकोषीय साझाकरण अनुपात के माध्यम से अग्रिम रूप से खर्च की सीमा तय करता है।

कृषि के चरम समय का प्रावधान:

फसल चक्र के महत्वपूर्ण समय के दौरान ग्रामीण कृषि श्रम की कमी को रोकने के लिए, यह अधिनियम राज्य सरकारों को बुआई और कटाई के चरम सीजन के दौरान 60 दिनों तक की अनिवार्य रोक (पॉज़) को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, जिसके दौरान योजना के कार्य अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे।

परिसंपत्ति बुनियादी ढांचा क्षेत्र:

परिसंपत्ति निर्माण को स्पष्ट रूप से चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बुनियादी ढांचा, और जलवायु-लचीले कार्य। इन सभी को 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक' (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में समेकित किया गया है।

मुख्य परिभाषाएँ

- मानक आवंटन (Normative Allocation):** एक बजटीय व्यवस्था जहाँ वास्तविक समय की जमीनी श्रम मांग के आधार पर गतिशील रूप से धन जारी करने के बजाय, वस्तुनिष्ठ मिश्रित मापदंडों और सूचकांकों के आधार पर राज्यों को केंद्रीय धन पहले से आवंटित किया जाता है।
- विकसित ग्राम पंचायत योजना (Viksit Gram Panchayat Plan):** ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया एक विकेन्द्रीकृत, स्थानिक रूप से एकीकृत स्थानीय विकास खाका, जो लक्षित कार्यों को पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय भू-स्थानिक निगरानी बुनियादी ढांचे में विलय करने से पहले सूचीबद्ध करता है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

- अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व - DPSP):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 243G (ग्यारहवीं अनुसूची):** ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार देता है, जिससे वे VB-G RAM G वितरण ढांचे के केंद्र में आ जाती हैं।
- VB-G RAM G अधिनियम, 2025:** अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैग्ड निगरानी, साप्ताहिक मजदूरी संवितरण और मांग के 15 दिनों के भीतर काम आवंटित नहीं होने पर वैधानिक बेरोजगारी भत्ते को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक सक्षम कानून है।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता

- यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं), जीएस पेपर III (रोजगार, विकास और सतत विकास)।
- निष्कर्ष:** मनरेगा से VB-G RAM G में परिवर्तन एक शुद्ध सामाजिक सुरक्षा जाल से परिसंपत्ति-संचालित, राजकोषीय रूप से अनुशासित ग्रामीण विकास मॉडल की ओर एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। हालांकि बढ़ी हुई 125 दिनों की सीमा और मानकीकृत आधार मजदूरी ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देती है, लेकिन इस आपूर्ति-सीमित मॉडल की सफलता ग्राम पंचायतों की नौकरशाही देरी के बिना परिसंपत्ति निर्माण करने या हाशिए पर मौजूद श्रम को वंचित छोड़े बिना काम करने की क्षमता पर निर्भर करती है।



11. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और यूएपीए के तहत जमानत का कमजोर होना

विस्तारित प्री-ट्रायल नजरबंदी:

2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में मुकदमे के बिना लगभग छह साल तक आरोपियों की चल रही जेल की सजा, कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लंबे समय तक प्री-ट्रायल नजरबंदी की सीमाओं के संबंध में एक गंभीर संस्थागत चुनौती को उजागर करती है।

देरी पर न्यायिक संघर्ष:

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले एक आंतरिक मतभेद को प्रकट करते हैं, जिसमें एक पीठ ने फैसला सुनाया कि मुकदमे में लंबी देरी जमानत का पूर्ण अधिकार नहीं दे सकती है और अपराध की गंभीरता के खिलाफ इसे तौला जाना चाहिए, जबकि दूसरी पीठ ने स्थापित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मिसालों का उल्लंघन करने के लिए इस रुख की आलोचना की।

संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करना:

यद्यपि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जमानत के लिए सख्त वैधानिक बाधाएं लगाता है, पूर्व के ऐतिहासिक निर्णय यह स्थापित करते हैं कि मुकदमे में अत्यधिक देरी के मामलों में वैधानिक प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक और मानव अधिकार को दरकिनार नहीं कर सकते हैं।

"सजा के रूप में प्रक्रिया" की दुविधा:

किसी अपराध की गंभीरता का हवाला देना—जो जमानत के चरण में केवल राज्य का एक आरोप होता है—अनिश्चितकालीन कारावास को सही ठहराने के लिए एक खतरनाक पैमाना तैयार करता है, जो कानूनी रूप से कोई दोष सिद्ध होने से पहले न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी रूप से एक दंडात्मक उपकरण में बदल देता है।

न्यायिक विसंगति:

समान समयसीमा और अंतर्निहित तथ्यों के तहत जमानत देने में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में स्पष्ट विसंगतियां कानूनी प्रणाली की पूर्वानुमेयता (predictability) को कमजोर करती हैं, जिससे कानून का शासन कमजोर होता है और मौलिक अधिकार असुरक्षित हो जाते हैं।

मुख्य परिभाषाएँ

- **प्री-ट्रायल नजरबंदी (Pre-Trial Incarceration):** आपराधिक मुकदमे के अंतिम निपटान और दोषसिद्धि या बरी होने के औपचारिक फैसले से पहले न्यायिक या पुलिस हिरासत में एक आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखना।
- **स्लाइडिंग स्केल न्यायशास्त्र (Sliding Scale Jurisprudence):** एक परिवर्तनशील कानूनी दृष्टिकोण जहाँ राज्य के आपराधिक आरोपों की कथित गंभीरता या प्रकृति के आधार पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रासंगिक रूप से विस्तारित या संकुचित होता है।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि इसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार और मुकदमे के बिना अनिश्चित काल तक हिरासत के खिलाफ सुरक्षा शामिल है।
- **यूएपीए, 1967 की धारा 43D(5):** यदि अदालत केस डायरी या रिपोर्ट के अवलोकन पर इस राय पर पहुँचती है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) सच है, तो जमानत पर एक सख्त वैधानिक रोक लगाती है।
- **के.ए. नजीब बनाम भारत संघ (2021):** सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जो यह पुष्टि करता है कि यदि लंबे समय तक देरी के कारण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन धारा 43D(5) के वैधानिक प्रतिबंधों को दरकिनार करता है, तो संवैधानिक अदालतें यूएपीए के तहत आरोपी को जमानत दे सकती हैं।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना; न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की भूमिका, मौलिक अधिकार)।
- **निष्कर्ष:** यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत जमानत पर प्रणालीगत गतिरोध को सुलझाना राष्ट्रीय सुरक्षा के जनादेश और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को प्री-ट्रायल समयसीमा पर एक समान, स्पष्ट मानक स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सख्त वैधानिक तंत्र कानून के मौलिक शासन से समझौता न करें या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर न करें।

12. सरला भट मामले में चार्जशीट: पुराने आतंकी मामलों की जांच में मील का पत्थर

36 साल बाद बड़ी सफलता:

जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 27 वर्षीय नर्स सरला भट के 1990 के अपहरण और हत्या के मामले में 737 पन्नों की एक व्यापक चार्जशीट दायर की है, जो ऐतिहासिक विद्रोही अपराधों के अभियोजन में एक बड़ा मोड़ है।

मास्टरमाइंड का नाम आया सामने:

जांच में प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक को प्राथमिक मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया है जिसने चार गुर्गों के साथ मिलकर इस साजिश को रचा था, जिनमें से तीन की अब मृत्यु हो चुकी है।

लक्षित हिंसा का अभियान:

चार्जशीट स्थापित करती है कि यह हत्या कोई अलग आपराधिक कृत्य नहीं थी, बल्कि जेकेएलएफ द्वारा लक्षित हत्याओं के एक जानबूझकर और संगठित अभियान का हिस्सा थी, जिसे बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने और कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

संस्थागत देरी का अंत:

भय के व्यापक माहौल, गवाहों को डराने-धमकाने और बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दशकों तक जांच रुकी रही, जिसमें 1994 में एकतरफा युद्धविराम भी शामिल था, जिसने अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कई पुराने मामलों को ठंडे बस्ते में रखा।



निर्णायक कानूनी मिसाल:

फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का उपयोग करके तैयार की गई यह चार्जशीट एक स्पष्ट मिसाल कायम करती है कि समय का बीतना कभी भी आतंकवाद के कृत्यों के लिए कानूनी ढाल या वैधानिक छूट के रूप में काम नहीं कर सकता है।

मुख्य परिभाषाएँ

- **पुराने आतंकी अपराध (Legacy Terror Crimes):** पिछले दशकों के आतंकवाद और विद्रोही हिंसा के अनसुलझे ऐतिहासिक कृत्य जिनका अभियोजन संस्थागत विफलता, संघर्ष या सक्रिय खतरे के माहौल के कारण बाधित हो गया था।
- **उद्घोषणा कार्यवाही (Proclamation Proceedings):** आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक वैधानिक न्यायिक प्रक्रिया जिसका उपयोग फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के लिए किया जाता है, जिससे संपत्ति की कुर्की और विशिष्ट परीक्षण प्रक्रियाएं सक्षम होती हैं।

वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान

- **आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA), 1987:** इस मामले में लागू किया गया प्राथमिक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी कानून, जिसके तहत आरोपी आतंक के कृत्यों की योजना बनाने, उन्हें उकसाने और अंजाम देने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
- **रणबीर दंड संहिता (RPC):** 1990 में अपराध के समय लागू जम्मू-कश्मीर का तत्कालीन दंड ढांचा, विशेष रूप से धारा 302 (हत्या), 364 (अपहरण), और 120B (आपराधिक साजिश)।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और निष्पक्ष न्याय के अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य गंभीर उल्लंघनों की जांच करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य रहे, चाहे समय की कितनी भी देरी क्यों न हुई हो।

निष्कर्ष और यूपीएससी प्रासंगिकता

- **यूपीएससी प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; कानून का शासन) और जीएस पेपर III (राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच संबंध, जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां)।
- **निष्कर्ष:** सरला भट मामले में चार्जशीट दाखिल होना पुरानी विद्रोही हिंसा के लिए पूर्ण कानूनी जवाबदेही की ओर एक प्रणालीगत बदलाव का प्रतीक है। अभियोजन पक्ष के पुराने संरचनात्मक अवरोधों को हटाकर,

JULY 3, 2026

आपराधिक न्याय प्रणाली इस सिद्धांत को सुदृढ़ करती है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद के कृत्यों की जवाबदेही किसी समय सीमा (statute of limitations) से बंधी नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में संक्रमणकालीन न्याय और सुरक्षा प्रबंधन मजबूत होता है।

